**दिनाँक - 09/06/2024 को कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने 09 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।**

मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के "ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025" के विजन को साकार करते हुए नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में जनपद में नशा तस्करो के विरुद्ध व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 08 जून 2024 को कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरानआईएसबीटी के पास से 02 अभियुक्तो को कुल 09 किलो 300 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनो अभियुक्तो के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कोतवाली ऋषिकेश में मु0अ0सं0- 317/2024, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।
अभियुक्तों से पूछताछ में उनके द्वारा उक्त गांजे को मेरठ से खरीद कर ऋषिकेश में नशे के आदि स्थानीय व्यक्तियों व शिक्षण संस्थानों में अध्ययन रत छात्रों को बेचने के लिए लाना बताया गया, अभियुक्तो के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**नाम पता अभियुक्तगण-**

(1)- अशोक कुमार पुत्र कैलाश निवासी साढ़े बारह गज कॉलोनी रघुवीर नगर दिल्ली, हाल निवासी मोकस पूरी गोलबड़, थाना टीपी नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश
(2) -राहुल पुत्र प्रहलाद निवासी मोकस पुरी गोलबड़, थाना टीपी नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश

**बरामदगी विवरण**

(1)- अभियुक्त अशोक कुमार से 4 किलो 500 ग्राम
(2)- अभियुक्त राहुल से 4 किलो 800 ग्राम
(कुल 9 किलो 300 ग्राम गांजा)

**पुलिस टीम**

1-उ0नि0 नवीन डंगवाल, चौकी प्रभारी ISBT, ऋषिकेश
2-का0प्रेम सिंह
3-का0 दिनेश मेहर
4-का0 कुलदीप
5-का0 विकास
6-का0 अभिषेक कुमार

कार्यालय कोतवाली ऋषिकेश देहरादून